राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत छापली
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत छापली

प्रकरण सं. – 131/2013 रे0वा0 निर्णय दिनांक –29.06.2015

अनवान

1. श्री दल्लासिंह पिता हीरासिंह जाति रावत निवासी नंगातो की गवार छापली तहसील भीम

वादी

बनाम

1. वन विभाग भीम।
2. क्षैत्रीय वन अधिकारी वन विभाग भीम
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम।

प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88., 89 व 188 आरटीए

मौजा नंगातो की गंवार पटवार क्षैत्र छापली तहसील भीम में आराजी नम्बर 7791 रकबा 198 बीघा भूमि आई हुई है जिसमें से वादी का उक्त वर्णित आराजी के 01 बीघा 15 विस्वा भूमि पर कब्जा चला आ रहा है।

जिसके पडौस निम्न प्रकार है:–

पूर्व में:– पहाडी
पश्चिम में:– आराजी नम्बर 7791 की शेष भूमि
उत्तर में :– रोड जो आराजी नम्बर 7791 में निकला।
दक्षिण में:– आराजी नम्बर 7791 की शेष भूमि

उक्त वर्णित आराजी पर वादी का अपने पूर्वजो के समय से कब्जा चला आ रहा था व उसके बाद वादी के पिता उक्त आराजी पर अपने हिस्से पर कब्जा चला आ रहा था व उनकी मृत्यु के पश्चात वादी का उक्त आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी पर आबादी भूमि आई हुई है व उक्त आराजी पर पुराना कब्जा होने के कारण वादी उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है व उक्त भूमि का वादी को पटटा भी पुराने कब्जे के आधार पर जारी किया गया था जिससे वादी के कब्जे की पुष्टि हो रही है। वादी का निरन्तर शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है।

उक्त भूमि बिलानाम थी परन्तु उक्त भूमि पर वादी के पूर्वजो का कब्जा चला आ रहा था परन्तु सेटलमेन्ट के द्वारा उक्त भूमि को गलत तरीके से सेटलमेन्ट अधिकारियो ने बिना किसी हक व अधिकार के व बिना कब्जा होते हुए उक्त भूमि को प्रतिवादी के नाम पर दर्ज कर दी गई। जबकि ऐसा करने का वादी को किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नही था तथा ऐसा करने के बाद प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का कब्जा भी सुपुर्द नही किया गया है न ही उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई चार दिवारी ही जंगलात बनाई गई है।

इस प्रकार से सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा बिना किसी न्यायालय के आदेश व बिना किसी भी प्रकार से प्रतिवादी को आंवटित भूमि को गलत तरीके से प्रतिवादीगण के नाम पर उक्त आराजी कर दी गई थी जो कार्य सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा पूर्णतया गलत किया गया है व मौके पर जब वादी व अन्य का कब्जा था तो फिर बिना उसे बेदखल किये कैसे किसी को आवंटित या उसके खाते ही की जा सकती है।

वादी अधिकारी है कि वो वादपत्र पेश कर उसके निरन्तर चले आ रहे कब्जेशुदा आराजी के हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है व उक्त भूमि 01 बीघा 15 विस्वा भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी है इसलिये यह वादीपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प छापली** मे पेश हुआ। राज्य सरकार के प्रतिनिधि लैण्ड होल्डर तहसीलदार भीम ने बिन्दुवार जवाब पेश किया जिसमें बेशकिमती राजकीय वन भूमि पर विधिविरूद्ध अनाधिकृत कब्जा करने का प्रयास किया है। प्रश्नगत भूमि साबिक एवं अभिलेख में कभी भी वादी के नाम दर्ज नही है। ऐसी स्थिति में वादी का वादी अस्वीकार किये जाने योग्य है। अतः वादी का वाद खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

पीठासीन अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर भीम